(159)

समक्ष– न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

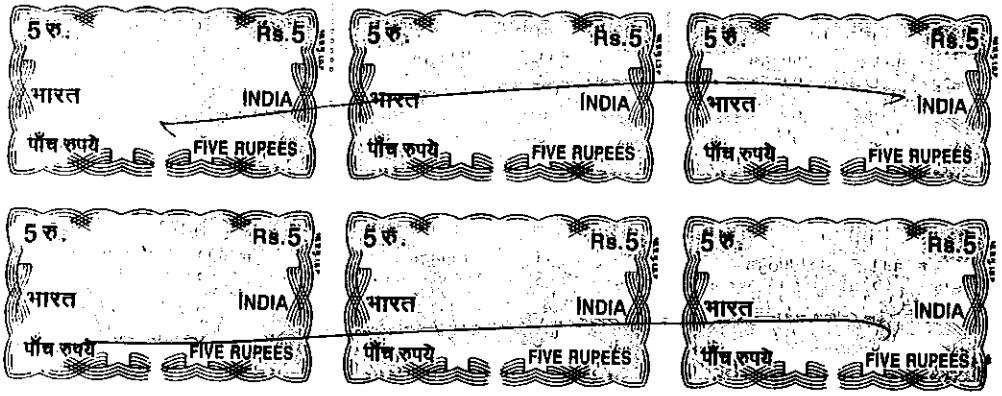

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES (×6)

प्रकरण क्रमांक– III/निगरानी/सीधी/भू.रा./2017/3040

दिनकर प्रसाद तनय स्व0 श्री रमागोविन्द तिवारी, निवासी ग्राम– पतुलखी, तहसील– बहरी, जिला– सीधी (म.प्र.) ——— आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

1. महरजुआ पत्नी स्व0 श्री रामजियावन तिवारी,
2. कुशुम देवी पुत्री स्व0 श्री रामजियावन तिवारी,

दोनों निवासी ग्राम– पतुलखी, तहसील– बहरी, जिला– सीधी (म.प्र.)

——— अनावेदक/गैरनिगरानीकर्तागण

श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक द्वारा आज दि 01-9-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
01-9-17 एडवोकेट
ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर कमिश्नर महोदय संभाग रीवा (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक– 1352/अपील/2016–17 में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक–25.08.2017

निगरानी अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है:–

1. यह कि अधीनस्थ प्रथम अपील न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी सिहावल, जिला– सीधी (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक– 120/अपील/2010–11 में पारित अविधिक आदेश दिनांक– 03.08.2017 के विरूद्ध निगरानीकर्ता की ओर से अधीनस्थ अपर कमिश्नर महोदय संभाग रीवा के न्यायालय में द्वितीय अपील/पुनरीक्षणाधीन प्रकरण क्रमांक– 1352/अपील/2016–17 दायर किया गया जिसमें प्रश्नगत आदेश दिनांक– 25.08.2017 पारित कर निगरानीकर्ता की उपरोक्त द्वितीय अपील सुनवाई हेतु

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

तीन / निगरानी / सीधी / भूरा / 2017 / 3040

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
18–9–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित होकर उनके द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1352 / अपील / 2016–2017 में पारित आदेश दिनांक 25.8.17 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता एवं शासन के पैनल अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अपनी निगरानी मेमों में कहीं भी यह बात स्पष्ट नहीं की है कि अपर आयुक्त द्वारा स्थगन आवेदन निरस्त करने से उन्हे यह हानि हुई है। मात्र अपर आयुक्त रीवा के स्थंगन आवेदन में यह लेख किया गया है कि प्रश्नागत आदेश का कियान्वयन नहीं होने से यह अपील निष्प्रयोजन हो जायेगी तथा न्याय की हानि होगी। आवेदक को भूमियों से जबरन बेदखल कर दिया जावेगा। लेकिन आवेदक द्वारा वहां पर ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिस पर अपर आयुक्त विचार करते। 3–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1352 / अपील / 2016–2017 में पारित अंतिरिम	

आदेश दिनांक 25.8.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है।

सदस्य